कार्यालय नियंत्रक, नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान), मध्यप्रदेश
होशंगाबाद रोड़, भोपाल–462011

क्रमांक 3936 /ना.तौ./अ–1(1)प्रवर्तन/2012 भोपाल, दिनांक: 19-10-12

—:: आदेश ::—

उपभोक्ता मामले, खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना सा. का. नि. 576 (अ) दिनांक 18 जुलाई 2012 द्वारा, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के संबंध में निदेशक विधिक मापविज्ञान की मुझे प्रदत्त शक्तियों में से, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 13 की उप धारा 7 के अंतर्गत मैं एस. के. जैन, नियंत्रक विधिक मापविज्ञान, म0 प्र0, एतद् द्वारा म0 प्र0 राज्य के समस्त विधिक मापविज्ञान अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र अंतर्गत, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 11 सहपठित धारा 29 एवं धारा 18 (2) सहपठित विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 31 के उल्लंघनों को अपवर्जित करते हुए, धारा 27, 28, 30, 33, 34, 35 एवं 36 के अंतर्गत दण्डनीय उल्लंघनों के लिये मामला दर्ज करने व मामले के अन्वेषण के संबंध में पत्राचार करने हेतु इस शर्त पर शक्तियां प्रत्यायोजित करता हूँ कि उक्त उपबंधों के अधीन दर्ज किये गये, अभियोजित और सिद्ध दोष मामलों की संख्या सहित की गई कार्यवाही की मासिक रिपोर्ट मेरे कार्यालय को भेजी जाए।

(एस. के. जैन)
नियंत्रक
नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान)
म0 प्र0 भोपाल

पृ.क्रमांक 3937 /ना.तौ./अ–1(1)प्रवर्तन/2012 भोपाल, दिनांक: 19-10-12

प्रतिलिपि :–

1– संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी, नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान), मुख्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2– समस्त उप/सहायक नियंत्रक, नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– समस्त निरीक्षक, नाप–तौल, (विधिक मापविज्ञान), मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आदेश में अंकित अधिसूचना की छायाप्रति इस आदेश के पीछे है।

नियंत्रक
नाप–तौल (विधिक मापविज्ञान)
म0 प्र0 भोपाल

कृपया पीछे देखें।